राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.3(1)(15)प्रथम/निर्वा/2013/6909 जयपुर, दिनांकः 27.10.2013

29

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः पुलिस आयुक्त,
जयपुर/जोधपुर।

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स) राजस्थान ।

विषयः विधानसभा आम चुनाव, 2013 – आदर्श आचार संहिता – रैलियों/सभाओं की अनुमति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 26.10.2013 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संभागीय आयुक्तों/रेंज पुलिस महानिरीक्षकों/पुलिस आयुक्तों/जिला निर्वाचन अधिकारियों/पुलिस उपायुक्तों/जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के द्वारा सभाओं या रैलियों की अनुमति के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में तत्परता एवं पारदर्शिता के लिए निर्देश दिये गये है। जिसके अनुसार निम्नांकित कार्यवाही की जावेः–

1. सभाओं या रैलियों के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्र सिंगल विंडो पर प्राप्त किये जावे और सभाओं या रैलियों के लिए अनुमति, स्थानीय विधि एवं निषेधात्मक आज्ञाओं के अध्यधीन, 24 घन्टे के भीतर जारी हो जानी चाहिए।
2. सभी प्राप्त आवेदन पत्रों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जावे। आवेदन पत्रों के साथ आवेदक का नाम व पूरा विवरण, राजनैतिक दल का नाम इत्यादि, प्रार्थना पत्र प्राप्त होने का समय एवं दिनांक, रैली या सभा स्थल, रैली या सभा में शामिल होने वाले अनुमानित व्यक्तियों की संख्या, सभा/रैली का Expenditure Plan आदि का विवरण भी होना चाहिए। इन सभी बिन्दुओं की सूचना रजिस्टर में भी अंकित होनी चाहिए। अनुमति पत्र जारी किये जाने की तिथि एवं समय भी रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। यदि अनुमति नहीं दी जाती है तो स्पष्ट अंकित किया जायेगा कि किन कारणों से अनुमति नहीं दी गई है।
3. यदि किन्हीं अन्य विभाग या स्थानीय निकाय से कोई रिपोर्ट लेनी है तो वह सिंगल विंडो व्यवस्था के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी ही लेने की व्यवस्था अपने स्तर पर करेगा।
4. अनुमति First come first service के आधार पर दी जायेगी।
5. अनुमति देते समय आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों, स्थानीय विधि, निषेधात्मक आज्ञाओं आदि की पालना भी सुनिश्चित की जावे।
6. चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होने के बाद किसी रैली/सभा की अनुमति नहीं दी जावे।
7. यदि कोई अभ्यर्थी अपना चुनाव व्यय लेखा–जोखा निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे सभा/रैली की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। सभी अन्य संबंधित अधिकारियों को भी अवगत करा दिया जावे।

28/10

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

E:\VS-2013\Elections\Election Letter.doc